न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**
राजस्व वाद संख्या :– **22/2025 GCMS 2025/43**

वादी :–

1. जगदीश प्रसाद पुत्र गंगाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम हरितनगर तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

प्रतिवादीगणः–

1. अम्बा लाल कुमावत पुत्र गंगाराम
2. छोटू राम पुत्र गंगाराम
3. नरसी लाल पुत्र गंगाराम
4. शंकरलाल कुमावत पुत्र गंगाराम समस्त जाति कुमावत निवासियान ग्राम हरितनगर तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार ज़ी कुचामन सिटी

दावा–बाबत् इस्तकरार हक, रिकॉर्ड शुद्धि बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री बिरमाराम अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री सुरेन्द्र कुमार किरडोलिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 04 की ओर से
प्रतिवादी संख्या 01 अम्बालाल, प्रतिवादी संख्या 02 छोटूराम, प्रतिवादी संख्या 03 नरसीलाल, प्रतिवादी संख्या 04 शंकर लाल

–:निर्णय :– दिनांक :– 16/01/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि यह है कि मौजा ग्राम हरितनगर पटवार हल्का खसिम तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर [illegible] 1.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.9000 हैक्टेयर कुल रकबा 2 कुल 2.3000 हैक्टेयर कृशि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी [illegible] से आया हुआ है तथा [illegible] खसरा नम्बर की भूमि मे कृषि कार्य तथा आने जाने [illegible] लिये रास्ता स्थित है [illegible] पत्र के साथ जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न है। उपरोक्त खसरा नं. कि भूमि वादी अपने 1/5 हिस्से की कृशि भूमि को निर्वाद रूप से का त करता आ रहा है तथा अपने हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन.)

हिस्से की भूमि के चारो और नींव, सींव कायम कर कास्त करता आ रहा है। उपरोक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगणो ने अपने अपने बंट व हक हिस्से कि भूमि को आपसी सहमति से कई वर्शा से बाट कर बंटवारा कर रखा है जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 मौके पर अपनी हक हिस्से की भूमि आपसी सहमति से भु–विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर नींव सीव कायम कर अपनी सुविधानुसार काश्त करते आ रहे है तथा कृशि कार्य के लिये रास्ता कायम कर रखा है जो कि नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। वादी उपरोक्त खसरा नं. की भूमि में वादी का 1/5 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है तथा वादी 1/5 हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार हैं तथा वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 अपनी सुविधानुसार मौके पर आपसी सहमति से कई वर्षो पूर्व से भू–विभाजन कर काश्त एवं उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। मौके पर आपसी सहमति से वादी अपने हक हिस्से की भूमि में खाद डालकर उपजाऊ बना रखी है एवं अपने अपने हक हिस्से की भूमि के चारों ओर बाड़, तारबन्दी इत्यादि कर काश्त करते आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजीत होने के कारण किसान कार्ड, ऋण आदि में समस्या आती है। इसलिए वादी को भू विभाजन का वाद लाना आवश्यक हुआ है। जिसका वह अधिकारी है। उक्त खसरा नं. की भूमि में वादी की कृषि भूमि मे मौके पर कब्जा कास्त अनुसार व नजरी नक्शे मे स्थान A पर अकिंत है। बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवाकर separate holding करवाना चाहता है। जिससे भविष्य में बंटवारा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। नजरी नक्शे वाद पत्र का एक भाग समझा जाये। वादी मौके पर कब्जा काश्त व नजरी नक्शे मे स्थान A पर अकिंत अनुसार तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि मे कृशि कार्य तथा आने जाने के लिये रास्ता नक्शा ट्रेस मे तरमीम कराना चाहता है। अपनी हक हिस्से की कृषि भूमि को उपजाउ बनाकर काश्त करता आ रहा है तथा उक्त भूमि वादी की मौके पर मौखिक बटवारें के कब्जा काश्त की अधिकारों की भूमि स्थित रही है जिसमें कानुनन रूप से वादी को भू विभाजन करानें का अधिकार निहित है तथा उक्त भूमि वादी की अजीविका का एक मात्र साधन है तथा प्रतिवादीगण जबरन वादी के कब्जा काश्त अपने जायाज अधिकारो से महरूम करने के उदेश्य से एवं वादी को अपने हक हिस्से की भूमि का भू विभाजन करानें के अधिकारों से वचिंत करने के उदेश्य से प्रेरित हो कर उक्त कृषि भूमि बैचान करने पर उतारू है यदि प्रतिवादीगण वादी के उक्त मौके पर कब्जा काश्त के अधिकारों की भूमि को बैचान करने के अपने उदेश्य मे सफल हो गयें तो वादी के जायज अधिकारो पर भारी कुठाराघात साबित होगा एवं वादी को कभी भी पुर्ति नही होने वाली क्षति [illegible] अपने जायज अधिकारों से व मौके पर कब्जा काश्त के अधिकारों से [illegible] के लिए वचिंत हो जायेंगा इस लिए वादी ने अपने जायज अधिकारो की सुरक्षा व अपने हक हिस्सें की भूमि का भूविभाजन के लिए उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक समझा है। मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी (डीडवाना-कुचामन सिटी) सत्यमेव जयते

ग्राम हरितनगर पटवार हल्का खारिया तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 244 रकबा 1.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.9000 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.3000 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इस आश्य की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावे तथा वादी अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त व नजरी नक्शे में स्थान A पर अंकित अनुसार तथा कृषि कार्य व आने जाने के लिये रास्ता बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवा कर separate holding व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार जी कुचामन सिटी को प्रदान करावें इस आशय की डिक्री बहकवादी विरूद प्रतिवादीगण सादिर फरमायें। मौजा ग्राम हरितनगर पटवार हल्का खारिया तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 244 रकबा 1.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.9000 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.3000 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा की मौके पर कब्जा काश्त में उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलबाजी न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायें जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने तारीख पेशी से पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 05 के विरूद्ध जारी सम्मन तामिल होकर प्राप्त। अवाजे लगाई गई। अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार मौजा ग्राम हरितनगर पटवार हल्का खारिया तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 244 रकबा 1.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.9000 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.3000 हैक्टेयर मे वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का क्रमशः हिस्सा 1/5 भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है जबकी मौके पर पर कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा कृषि कार्य व आने जाने के लिये रास्ता कायम कर रखा है। इसलिये वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का भू–विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की उपरोक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से पर कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा अपने हक हिस्से की कृषि भूमि के चारो ओर नींव सींव कायम कर बाड एवं पत्थर गढी आदि रखा है तथा अपने हक हिस्से की भूमि मे खाद डालकर उपजाउ बना रखी है तथा वादग्रस्त [illegible] वादीगण सं. 1 ता 4 अपने हक हिस्से की भूमि का बटॅवारा करवाने के [illegible] अधिकारी है। उपरोक्त खसरा नं. की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि नजरी नक्शा पर अंकित है राजीनामा के साथ नजरी नक्शा संलग्न है जिसको राजीनामा का एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

भाग समझा जावे। मौजा ग्राम हरितनगर पटवार हल्का खारिया तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 244 रकबा 1.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.9000 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.3000 हैक्टेयर मे वादी एंव प्रतीवादीगण सं. 1 ता 4 का हिस्सा 1/5 की कृशि भूमि आई हुई है। वादी एवं प्रतीवादीगण सं. 1 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर तथा कृशि कार्य व आने जाने के लिये रास्ता कायम कर इस आश्य की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावे वादी एंव प्रतीवादीगण सं. 1 ता 4 को अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त तथा कृषि कार्य व आने जाने के लिये रास्ता व नजरी नक्शे पर अकिंत अनुसार बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवा कर separate holding व नक्शा ट्रेक्स में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार जी कुचामन सिटी को प्रदान करावें इस आशय की डिक्री बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायें। जरिये राजीनामा माफिक डिक्री राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदारजी कुचामन सिटी को आदेश प्रदान करावें। राजीनामा व राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादी आपसी सहमती/राजीनामा से नजरी नक्शे में अंकित अनुसार बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवा कर separate holding व नक्शा ट्रेक्स में तरमीम करवाना चाहते हैं। वाद में राजीनामा व संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम हरितनगर तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 244 रकबा 1.4000 व खसरा नम्बर 245 रकबा 0.9000 में काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के द्वारा दिनांक 16.01.2025 को प्रस्तुत राजीनामा व संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार ग्राम हरितनगर तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 244 रकबा 1.4000 व खसरा नम्बर 245 रकबा 0.9000 में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। अंतिम डिक्री पर्चा जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (कुचामनसिटीकुचामन)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

बईजलास :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**
राजस्व वाद संख्या :– **22/2025 GCMS 2025/43**

वादी :–

1. जगदीश प्रसाद पुत्र गंगाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम हरितनगर तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

प्रतिवादीगणः–

1. अम्बा लाल कुमावत पुत्र गंगाराम
2. छोटू राम पुत्र गंगाराम
3. नरसी लाल पुत्र गंगाराम
4. शंकरलाल कुमावत पुत्र गंगाराम समस्त जाति कुमावत निवासियान ग्राम हरितनगर तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार जी कुचामन सिटी

दावा–बाबत् इस्तकरार हक, रिकॉर्ड शुद्धि बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री बिरमाराम चौधरी व श्री सुरेन्द्र कुमार किरडोलियां अधिवक्ता हाजिरी..... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के द्वारा दिनांक 16.01.2025 को प्रस्तुत राजीनामा व संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार ग्राम हरितनगर तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 244 रकबा 1.4000 व खसरा नम्बर 245 रकबा 0.9000 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। डिक्री आदेश की पालना हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी (कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक/कोर्ट/2024/13 दिनॉकः–16/1/2025

प्रेषिति :– तहसीलदार
कुचामन सिटी

विषय :– राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 22/2025 **GCMS 2025/ 42** जगदीश बनाम अम्बालाल वगैराह में पारित आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 22/2025 **GCMS 2025/ 42** जगदीश बनाम अम्बालाल वगैराह में पारित आदेश की पालना बाबत प्रमाणित प्रति भिजवाई जा रही है। आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:34:10 IST
Reason: SelfAttested